



ICRA

ICRA Limited

June 13, 2018

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001, India
Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051, India
Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the Notice for attention of the shareholders of ICRA Limited, in respect of transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund, published in the following newspapers on June 13, 2018:

1. Financial Express
2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

WELSPUN ENTERPRISES LIMITED
 CIN: L45201GJ1994PLC023920
 Reg. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat-370110
 Tel.: +91 2836 662222, Fax +91 2836 279010
 Corp. Office: Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013. Tel.: +91 22 6613 6000, Fax: +91 22 2490 8020
 Website: www.welspunenterprises.com, Email Id: companysecretary_wel@welspun.com

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that for the purpose of determining the names of shareholders eligible for dividend as recommended by the Board and as may be declared by the shareholders of the Company at the 24th Annual General Meeting, the Share Transfer Book and the Register of Members of the Company will remain closed from **Wednesday, June 27, 2018 to Friday, June 29, 2018** (both days inclusive).

For Welspun Enterprises Limited
 Sd/-
Priya Pakhare
 Company Secretary
 FCS - 7805

Place: Mumbai
 Date: June 12, 2018

VARRSANA ISPAT LIMITED
INVITATION FOR RESOLUTION PLAN

Applications are invited for putting forward a resolution plan in the Corporate Insolvency Resolution Process of **Varrsana Ispat Limited** for takeover, investment, management, etc. of the Company which is the owner of Steel Plant that manufactures Sponge Iron, Direct Reduced lumps, Mild and High Tensile Billets, TMT Bars, P.G. Approved angles and Structural steel for Tower Industry, Reinforcement Steel and Galvanized Transmission line towers with its own power plant located at **Gandhidham, Gujarat**. For detailed request for proposal, Form G, Bid Evaluation Matrix, price exploration and bidding process and other documents, please visit www.varrsana.com and www.insolvencyandbankruptcy.in/home/expression-of-interest.html.

Last date of submission of Financial Bid and Resolution Plan is 26th June, 2018 in the COC Meeting.

Anil Goel, Resolution Professional
 Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00118/2017-18/10253
 Partner, AAA Insolvency Professionals LLP
 E-10A, Kailash Colony, New Delhi-110048
varrsana.ispat@aaainsolvency.com
 Contact No.: 011-46664600

आंध्र बैंक
Andhra Bank
 (A Govt. of India Undertaking)
Merchant Banking Division
 Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

NOTICE OF AGM AND REMOTE E-VOTING
 Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of the Bank will be held on Monday, 09th July, 2018 at 12.00 noon at Sri Sathya Sai Nigamagadam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad-500 073 to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2018, Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts;
 - To approve raising of Capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer etc.
- And, further we wish to inform as under:
- The Share Transfer Books of the Bank shall be closed from Tuesday, July 03, 2018 to Monday, July 09, 2018 (both days inclusive) for the purpose of 18th Annual General Meeting.
 - The Notice of the ensuing AGM and the Annual Report of the Bank for FY 2017-18 are available on Bank's website - www.andhrabank.in under the tab "Investors Relations".
 - The Bank is providing Remote e-voting facility to the Shareholders of the Bank to enable them to cast their vote electronically on the Agenda Items before AGM.
 - The Bank is also offering the facility to the eligible members to cast their vote by way of Tab voting at the AGM on the business specified in the Notice. The Members who have cast their vote through Remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to vote through Tab voting at the AGM.
 - The rights of the shareholders/beneficiary owners to vote in the Remote e-voting or Tab voting at the venue of the AGM, shall be reckoned based on the equity shares held by them on Monday, July 02, 2018 being the specified date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialised form as on the specified date may cast their vote.
 - Please note that the EVSN (Electronic Voting Sequence Number) of Andhra Bank for the present voting is: 180605009
 - The process and manner for generating the password for casting of votes through Remote e-voting and other related details are available under Notes to the Notice in the Annual Report of the Bank. Please note that Remote e-voting is optional.
 - The Remote e-voting period will commence from 10.00 A.M on July 06, 2018 and ends at 05.00 P.M on July 08, 2018 and shall not be available thereafter.
 - The EGM Notice dated May 22, 2018 was sent to the shareholders who were holding shares as on the cut-off date for the said purpose i.e on Friday, May 25, 2018. The shareholders who have acquired shares after the said cut-off date and continue to hold shares till the specified date i.e. July 02, 2018, may refer the EGM Notice placed on the Bank's website for obtaining of login id and password to cast their vote.
 - In case of any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@dsindia.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Rakesh Dalvi, Deputy Manager. Toll Free Number: 1800225533.
 - The consolidated results of Remote e-voting and Tab Voting will be announced by the Bank on its website, on the website of the Remote e-voting agency, M/s. Central Depository Services (India) Limited and also will be informed to the stock exchanges.

Place: Hyderabad
 Date: 11.06.2018
 (Ruchi R)
 Company Secretary

ICRA Limited
 Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
 Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor
 28, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
 Telephone No.: +91-11-23357940-45
 Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE
 (For transfer of equity shares of ICRA Limited to Investor Education and Protection Fund)
 This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time.

Members may please note that ICRA Limited ("the Company") is required to transfer such shares corresponding to the dividend for the financial year 2010-11 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the Rules during the financial year 2018-19 are being communicated individually for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at www.icra.in. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be September 18, 2018. Further, in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to the IEPF Authority.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members, the Company shall with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

In case the members have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For ICRA Limited
 (S. Shakeb Rahman)
 Place: Gurugram
 Date: June 11, 2018
 Company Secretary & Compliance Officer

BHEL to partner foreign firms to make EV batteries



FE BUREAU
 New Delhi, June 12

STATE-OWNED POWER
 equipment maker BHEL will partner foreign companies to manufacture lithium-ion cells for developing electric vehicle ecosystem in the country, the government said on Tuesday. Several foreign firms have

shown interest in collaborating with the public sector undertaking to reduce import of batteries from China which controls around 50% of the international market share.

"Four foreign companies have contacted us to make lithium-ion batteries in India. They want to partner with us and we have asked BHEL to take the lead in it. It should help reduce battery input costs for us. The talks are still in primary stages," union minister of heavy industries and public enterprises Anant Geete told reporters. He, however, refused to divulge names of these companies.

Geete said the EV policy is a work-in-progress and is part of Centre's plan to promote green mobility. The Modi government had announced the target of making India a 100% EV nation by 2030 but later made a U-turn citing lack of ecosystem in the country.

"We are gaining experience in adopting electric vehicles with each passing day. Changes are being made to promote indigenous production of EVs. That is why there is flexibility in norms from the government side. The thrust is on public trust right now. But the EV policy is still part of our plans," Geete said at the event to mark four years of the NDA.

The heavy industries ministry has so far given support of ₹257 crore to around 186,000 vehicles under part one of the Faster Adoption Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle (FAME) scheme launched in 2015. Under the next phase of the programme, over ₹9,300 crore have been budgeted, including ₹1000 crore for charging infrastructure across the country. The FAME II is likely to commence from September this year and continue till 2022-23

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
 Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051.
 Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: www.icicipruamc.com, email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 83 - 1392 Days Plan J (the Scheme)

Investors are requested to note the following changes in the SID and KIM, of the Scheme:

Extension of New Fund Offer (NFO) period of the Scheme:
 The NFO period of the Scheme has been extended till June 19, 2018 (Tuesday).

Accordingly, switches from equity schemes will be accepted up to June 14, 2018 till the applicable cutoff time and MICR cheques till the end of business hours up to June 14, 2018.

Switch-in requests from other than equity schemes will be accepted up to June 19, 2018 till applicable cutoff time. Transfer cheques and Real Time Gross Settlement (RTGS) requests will be accepted till the end of business hours up to June 19, 2018.

All the other provisions of the SID/KIM/addenda of the Scheme except as specifically modified herein above remain unchanged.

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM/addenda of the aforesaid Scheme of ICICI Prudential Mutual Fund, as amended from time to time.

Place: Mumbai
 Date: June 12, 2018
 No. 010/06/2018
 Sd/-
Authorised Signatory

CALL: MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others: 1800 200 6666 • Or, apply online at www.icicipruamc.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

L&T Mutual Fund
 6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
 C. S. T. Road, Kalina
 Santacruz (East), Mumbai 400 098
 call 1800 2000 400
 email investor.line@lntmf.co.in
 www.ltfs.com

L&T Financial Services
 Mutual Fund

Notice

Notice is hereby given that with effect from June 14, 2018, the address of the Service Centre of Computer Age Management Services Private Limited ("CAMS"), the Registrar and Transfer Agent to the schemes of L&T Mutual Fund ("the Fund") located at Cochin will change and the new address will be as follows:

Existing Address	New Address
CAMS SERVICE CENTRE 1 st Floor, K. C. Centre, Door No. 42/227-B, Chittoor Road, Opp. North Town Police Station, Kacheripadym, Cochin 682 018 Email id: camsoc@camsonline.com	CAMS SERVICE CENTRE Building Name: Modayil, Door No. 39/2638, DJ, 2 nd Floor, 2A, M. G. Road, Cochin 682 016 Email id: camsoc@camsonline.com

Investors are requested to take note of the above

Date: June 12, 2018
 Place: Mumbai

For L&T Investment Management Limited
 (Investment Manager to L&T Mutual Fund)
 Kailash Kulkarni
 Chief Executive Officer

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

CL05581

Invesco Mutual Fund

Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd.
 CIN: U67190MH2005PTC153471
 2101-A, 21st Floor, A Wing,
 Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg,
 Lower Parel, Mumbai - 400 013.

Telephone: +91 22 6731 0000
 Fax: +91 22 2301 9422
 Email: mfservices@invesco.com
www.invescomutualfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Invesco Trustee Pvt. Ltd., (the Trustee to Invesco Mutual Fund) has approved the declaration of dividend in the following scheme, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme	Plan/Option	Amount of Dividend (per unit)*	NAV as on June 11, 2018 (per unit)	Record Date ^a
Invesco India Fixed Maturity Plan - Series 26 - Plan A, a close ended debt scheme	Regular Plan Dividend Option	Entire Distributable surplus as on the Record Date	₹12.6520	June 18, 2018
	Direct Plan - Dividend Option	₹12.7276		

*As reduced by the amount of applicable statutory levies. Face Value per unit is ₹10/-.
^aor immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Options of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Unit holders are informed that the Trustees has fixed **Monday, June 18, 2018** as the 'Record Date' for the purpose of determining eligible Unit holders holding units of the Scheme who would be entitled to the maturity / redemption proceeds on the Maturity / Final Redemption Date of the Scheme. The Maturity / Final Redemption Date of the Scheme is **Monday, June 18, 2018** (or immediately following Business day if that day is not a Business Day).

The Dividend and Maturity / Redemption proceeds will be paid to those Unit holders holding units of the aforesaid Scheme in dematerialized form, whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories as at the close of business hours on the Record Date and to those Unit holders holding units in physical form whose names appear in the records of the Registrar, Karvy Computershare Pvt. Ltd., as at the close of business hours on the Record date.

Date: June 12, 2018

For Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd.
 (Investment Manager for Invesco Mutual Fund)
 Sd/-
Saurabh Navvati
 Chief Executive Officer

Convenience is just a click away.
 Log on to
www.invescomutualfund.com

Call 1800-209-0007
 sms 'Invest' to 56677

Follow us on [in](#) [t](#) [f](#) [You](#)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MUTUAL FUNDS
 Sahi Hai

uti
 UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE - DIVIDEND DECLARATION

UTI Fixed Income Interval Fund - Monthly Interval Plan - I

Name of the Plan	Gross Dividend (₹)	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 11-06-2018 (per unit)	
UTI Fixed Income Interval Fund - Monthly Interval Plan - I (Div. sub option)	*100% of distributable surplus as on the Record Date	Monday June 18, 2018	₹10.00	Option	
				Retail Existing Plan	10.0518
				Retail Direct Plan	10.0506
				Institutional Existing Plan	10.0837

UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Interval Plan - I

Name of the Plan	Gross Dividend (₹)	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 11-06-2018 (per unit)	
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly Interval Plan - I (Div. sub option)	*100% of distributable surplus as on the Record Date	Monday June 18, 2018	₹10.00	Option	
				Retail Existing Plan	10.1601
				Retail Direct Plan	10.1695

*Distribution of above dividend are subject to the availability of distributable surplus as on record date. Dividend payment to the investor will be lower to the extent of Dividend Distribution Tax.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend options of the schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the dividend option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each dividend distribution shall be entitled to receive the dividend so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of dividend to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of dividend.

The Specified Transaction Period will be Monday June 18, 2018 & Tuesday June 19, 2018 (Both the days inclusive)

Switch-in requests for purchase of units/redemption of units/switch in/out under Retail Option and redemption of units/switch out under institutional option will be accepted only during the Specified Transaction Period. The applicable price for purchase/redemption of units will be based on ex-dividend NAV in case of dividend declaration during the Specified Transaction Period. As the units will be issued on ex-dividend basis, the unitholders for the units so issued will not be eligible for the past dividend.

Mumbai
 June 12, 2018
 Toll Free No.: 1800 22 1230
 Website: www.utimf.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gr" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, [CIN:U65999MH-2002GO137867].
 For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.
 UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Drive for GST refunds extended by two days

FE BUREAU
 New Delhi, June 12

THE GOVERNMENT ON Tuesday extended the fortnightly drive to expedite refunds under Goods and Services Tax (GST) by two days to June 16 due to overwhelming response from exporters and pending claims.

The second such drive since March was launched on May 31, and a refund of over ₹7,500 crore has been sanctioned so far, the government said in a statement. As on May 30, refund claims of ₹14,000 crore (₹7,000 crore on the IGST side and ₹7,000 crore on account of ITC) were pending with the government. Earlier, the indirect tax department had sanctioned ₹5,350 crore during the March 15-29 period.

Under GST, exporters and other businesses dealing in exempted items are not provided upfront exemption from GST but are reimbursed for taxes paid later. However, due to large-scale errors in filing refund forms, which led to mismatches in details between GST Network and customs database, a substantial amount of refunds continues to be blocked. This, exporters claim, has seriously throttled their cash flow and has impacted their competitiveness.

Before the start of the second refund drive, the government had sanctioned more than ₹30,000 crore in GST refund. This includes ₹16,000 crore of integrated GST and ₹14,000 crore of input tax credit (ITC) refunds. The figures of ITC include sanction by both the central and state governments.

आईसीआरए लिमिटेड
 ICRA कॉर्पोरेट पब्लिसन सं. (सीआरएन): L74999DL1991PLC042749
 फंडेड स्ट्रक्चर: 1105, केनरा बिल्डिंग, 11वां तल, 26, कस्तूरबा गान्धी मार्ग, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नं.: +91-11-23357940-45
 वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईसी: investors@icraindia.com

सूचना
 (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में आईसीआरए लिमिटेड के ड्रिफ्टी शेयरों के अंतरण के संबंध में)

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम"), समय-समय पर पदासंशोधित के साथ पंढित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

सदस्यवृण कृपया नोट करें कि ऐसे शेयर जिन्के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 से लाभांश के संबंध में सदस्यों द्वारा कथित वित्तीय वर्ष से निरंतर प्राप्त बात वर्ष तक लाभांश का कोई दावा नहीं है, उन्हें आईसीआरए लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ("आईसीआरए") प्राधिकरण को अंतरित किया जाता है।

कम्पनी ने आईसीआरए को अंतरित किये जाने हेतु देय अदायगकृत लाभांश और शेयरों का एक पत्रिका अपनी वेबसाइट www.icra.in पर अपलोड किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वह कम्पनी की वेबसाइट से आईसीआरए को अंतरित किये जाने वाले अदायगकृत लाभांश एवं शेयरों के विवरण विवरणों की जांच कर दें।

नियमों के संदर्भ में, आईसीआरए प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले शेयरों (जिन्के संबंध में निरंतर प्राप्त बात वर्ष से लाभांश हेतु कोई दावा नहीं किया गया है) की देय तिथि 18 सितम्बर, 2018 होगी। इसके अलावा, नियमों के संदर्भ में, ऐसे शेयरों पर उपायजित सभी लाभ जैसे बीनास शेयर, स्विफिट, समेकन, फ्रेक्चन शेयर आदि, केवल स्टॉक इश्यू को छोड़कर, सभी आईसीआरए प्राधिकरण के पास जाना कर दिये जाएंगे।

यदि सदस्यों से ऐसे ड्रिफ्टी शेयरों के संबंध में कोई बड़े पैमाने पर नाराजगी नहीं होती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए विनिर्देशित देय तिथि को ऐसे शेयरों को आईसीआरए प्राधिकरण को अंतरित कर देगी।

सदस्यवृण इस बात को भी नोट करें कि आईसीआरए को अंतरित किये जाने वाले अदायगकृत लाभांश एवं शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर उपायजित सभी लाभ, यदि कोई है, के संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें आईसीआरए प्राधिकरण से वापस लेने का दावा किया जा सकता है।

यदि इस विषय एवं नियमों के संबंध में कोई सदस्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है तो वह नीचे निर्दिष्ट पते पर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रस्टकर एजेंट और/या कम्पनी से सम्पर्क कर सकता है।

बैंक इन्टरम्युडियरी प्राइवेट लि.
 44, कम्प्यूटरी सेंटर, दूसरा तल, नारायण इंडियनस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110028
 फोन: +91 11 41410592
 फैक्स: +91 11 41410591
 ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.icra.in) वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

कृते आईसीआरए लिमिटेड
 (एस. शाकेब रहमान)
 कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड
 CIN: U74999DL1982PLC14411
 पंजी. क्र.एन.सी. 208, सेक्टर हाउस-11, कस्तूरबा कर्करी रोड, ई-वर्क-110015, www.jtel.co.in

ई-मेल: jagattradingenterpriselimited@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों को अ-साधारण आम सभा (ईजीएम) शनिवार, 30 जून, 2018 को 10.00 बजे पूर्व में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय: 208, मेनम हाउस-11, कस्तूरबा कम्प्यूटरी सेंटर, नई दिल्ली-110015 में आयोजित की जाएगी जिसमें उनके पंजीकृत तथ्यांक में वे किसी भी वाद-विवाद तथा कोई भी लेन-देन के लिये ये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सूचीबद्ध अनुबंध के कर्ताओं के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सुक्रवार, 29 जून, 2018 से शनिवार, 30 जून, 2018 (दोनों दिनों सहित) तक कम्पनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2018 की कट-ऑफ तिथि को मौलिक पद्धति अपना डीमेटरीयलस्टॉक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य ईजीएम को सूचना में निर्दिष्ट विशेष प्रत्यायन (वी) पर अपना मतदान कर सकते हैं। (ख) ईजीएम की सूचना मौलिक रूप से 8 जून, 2018 को भेजी गई है। (ग) ईजीएम की सूचना www.jtel.co.in तथा आर्टोए साईट www.skylinert.com पर उपलब्ध है। (घ) ईजीएम की सूचना से संबंधित किसी भी प्रश्नार्थक, विषयों अथवा समस्याओं के लिए ajagattradingenterpriselimited@gmail.com पर लिखे या ई-मेल करें या व्यक्तिगत रूप से श्री सुरेश कुमार गुप्ता, कम्पनी के अधिकारी से संपर्क करें। 9810820074 पर सम्पर्क करें।

बॉर्ड के आदेश से
 जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिये
 हस्ता./-
 सी.ओ. गुप्ता
 निदेशक
 दिनांक: 8.6.2018
 स्थान: नई दिल्ली
 DIN No.: 00058863

सार्वजनिक सूचना
 मै श्री गिरिवर सिंह राणा एवं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमला राणा ये घोषणा करते हैं कि हमारा पुत्र सोहन सिंह राणा हमारी कही नही मानता है इसलिये हम इसे नही इसकी पत्नी रमिता राणा को अपनी चल और अचल सम्पत्ति से निष्कासित करते हैं।
 भविष्य में ये किसी भी वाद-विवाद तथा कोई भी लेन-देन के लिये ये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड
 Ministry of Finance
 (Department of Economic Affairs)
 6001, University Road, Near Hanuman Sea Mandir, Lucknow- 228007
 NOTICE S.A. No. 235/2011

Dr. Rakesh Kr. VermaApplicant
 VersusRespondents
 Bank Of Baroda

1. Aman Chhabra S/o Sri Harbir Singh Chhabra, R/o 129 Hala Ramdas, Sadar, Lucknow.
 2. Ramdas S/o Bajju Prasad R/o 258 Shekhpora Colony, Aliganj, Lucknow presently resided at Mohalla Ramnagar Near Budhviriyah Mandir, Lakhimpur Kheri.
 3. Friends Sahkari Avas Samiti Ltd. Lucknow (Regn.No.1065/51) Shri's Secretary Raju Babu Rastogi.

Whereas, in the above said case, the applicant has made an Application under Section 17 of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, copy of the S.A. is herewith enclosed.

Take notice that you are hereby required to appear before the Tribunal on or before 25th day of June 2018 at 10:30 a.m. in the forenoon in person or by a pleader/advocate to show cause why the said S.A. should not be allowed. Failing which the said S.A. will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the Seal of this Tribunal on the 1st day of June 2018.

Court Seal Debits Recovery Tribunal, Lucknow Registrar

ब्रिटिश नागरिक जोहल को भारत में कानून का सामना करना पड़ेगा : रिजीजू

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक शब्दों को भारत में कानून का सामना करना पड़ेगा। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने ब्रिटेन की अपनी समकक्ष बरोनेस विलियम्स से कही है।

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यहां एक घंटे तक चली बैठक की जगतार सिंह जोहल को जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 के बीच आरएसएस, शिवसेना और डेरा सच्चा सौदा के सात नेताओं की हत्या को अंजाम देने वाले पड़चरत्रकालों में से एक माना जा रहा है। अधिकारी के अनुसार मंत्री को बता दिया गया कि जोहल को पंजाब में घटे इस अपराध में उसकी भूमिका के लिए भारत में कानून का सामना करना पड़ेगा।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष के उलझे मामले को सुलझाएं शाह

राजस्थान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष उलझा हुआ मसला अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को दिल्ली में सुलझाएंगे। शाह ने प्रदेश के डेढ़ दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं की बैठक बुधवार को दिल्ली में बुलाई है। इसी बैठक में अध्यक्ष के नाम पर आम राय बनाई जाएगी। बैठक के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत ज्यादातर नेता मंगलवार को दिल्ली रवाना भी हो गए।

प्रदेश में डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय से खाली भाजपा अध्यक्ष के पद को लेकर चल रहे टकराव को अब शाह ही सुलझाएंगे। भाजपा अध्यक्ष की अगुआई में प्रदेश कोर कमेट्री और अन्य बड़े नेताओं की बुधवार को होने वाली बैठक में फैसला होने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश भाजपा के लिए सबसे अहम मसला नए अध्यक्ष का बन

गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच टकराव के हालात बन गए थे। राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाना चाहता है और वसुंधरा गुट इसका विरोध कर रहा है।

भाजपा का कहना है कि प्रदेश के नेता एकराय होकर राष्ट्रीय नेतृत्व को नए अध्यक्ष के बारे में फीडबैक देंगे। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का प्रदेश दौरा होगा। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौर करवाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट के उदघाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम करवाने की रूपरेखा बनाई गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों कई जिलों के दौर कर संगठन के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। राजे ने अपने दौरे के दौरान समाज के विभिन्न तबकों के साथ ही जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी जनसंवाद किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा
 Bank of Baroda

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) (देखें नियम 8 (1))

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन (अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पंढित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.3.2018 जारी कर अध्याचारक मै. वधवान बिरेन्द्रक प्रालि., तला: 801-814, बंगला नं. सी-58, शाहपुरी तीर्थ सिंह टावर, कम्प्यूटरी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा कॉर्पोरेट गारन्टर, मार्टीनर-मै. अश्विनेन्द्र इन्फोसिस्ट प्रालि., पता-05, सी-58, शाहपुरी तीर्थ सिंह टावर, कम्प्यूटरी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में निर्धारित राशि 26.3.2018 को रु. 8,21,47,651/- (रुपये आठ करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार रु. सौ इय्यावन मात्र) (26.3.2018 तक व्याज सहित) के साथ 26.3.2018 से व्याज, लागत, खर्च एवं अन्य अनुषंगिक चार्जेंस आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अध्याधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज गारन्टर, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पंढित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित परिस्थिति/सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। वित्तीय रूप से अध्याधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित परिस्थिति/सम्पत्ति का कब्जा का व्यवसाय न करें तथा इन परिस्थितियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.5.2018 को रु. 8,46,11,792/- (रुपये आठ करोड़ छियासठ लाख च्यासठ हजार सात सौ च्याने मात्र) (31.5.2018 तक व्याज सहित) के साथ 1.6.2018 से आगे के व्याज, लागत, खर्च एवं अन्य अनुषंगिक चार्जेंस आदि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, संसद मार्ग शाखा, भू तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूत परिस्थितियों को विनिर्भर करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) अधोलिखित सम्पत्तियों का इन्वेस्टमेंट मार्गैज: उस पर भवन तथा स्ट्रक्चर के साथ गिटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला जी.बी. नगर (उ.प्र.) में स्थित औद्योगिक प्लॉट नं. 12 ए, माप 38014.54 वर्ग मी., सेक- नॉलेज पार्क-03 में स्थित भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा। 2) प्लॉट एवं पार्सल नं. तथा विविध निर्धारित परिस्थितियों (विद्यमान के साथ ही साथ भविष्य की पार्सल नं. का हाइपथेकेस। 3) वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान तथा भविष्य दोनों, का हाइपथेकेस।

तिथि: 11.06.2018
 स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
 बैंक ऑफ बड़ौदा, संसद मार्ग

वी.ओ.: संसद शाखा,
 नई दिल्ली,
 दिल्ली मेट्रो 1

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
 Bank of Maharashtra
 प्रधान कार्यालय, "लोकमंगल",
 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

एक्स/सू/प्र/आरएफपी 08/2018/2018/डीएमएस
 बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिजिटल मीडिया साहनेज (डीएमएस) सोल्युशन के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए पात्र प्रणाली इंटीग्रेटर्स से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ब्यौरे और निविदा दस्तावेज 13 जून 2018 से बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofmaharashtra.in> पर निविदा खंड में उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को निरस्त या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 उप महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी

नई दिल्ली आसिन् बसुली शाखा
 स्टार हाऊस, नृतीय तल, एन-2, कान्ट संसद,
 नई दिल्ली-110001

कच्चा सूचना
 (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आसिन्सों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के संपत्ति नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 17.07.2014 को ऋणी मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड व जमानतदार श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री सजीव वर्मा, श्री सुदेश कुमार वर्मा, श्री राजीव वर्मा और श्री विजय पाल सोनी को उक्त सूचना-प्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-प्र में उल्लेखित रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) + दिनांक 30.06.2014 से प्रमादी व्याज की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी क./जमानतदार के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी क. तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के संपत्ति उक्त नियमों के नियम 9 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 07 जून, 2018 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने मौलिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी क./जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया कोई व्यवहार रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) एवं उसके पश्चात के व्याज के बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार के अधखीन हो गा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आसिन्सों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उर्थव्यों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें प्रोपर्टी नं. 2363/1-7, खसरा नं. 2341, गणेशपुरा बी, त्रिनगर, नई दिल्ली।
 दिनांक: 07.06.2018, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

लोकप्रिय पर्यटन स्थल नैनीताल के अधिकारियों ने निजी वाहनों में आ रहे लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी गाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर छोड़ कर शहर में प्रवेश करें। शहर में विभिन्न स्थानों पर इस संबंध में बैनर लगाए गए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शहर में यातायात की लचर व्यवस्था के लिए अधिकारियों को लाताड़ा था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। अनुमन किसी भी शहर में जाने पर वहां 'स्वागत' के बोर्ड लगे होंगे।

तेलंगाना के विवादित भाजपा विधायक टी राजा सिंह लोड के खिलाफ सोशल मीडिया साइट पर इफ्तार की दावतों को लेकर कथित रूप से बड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त (फलकनुमा मंडल) सैयद फियाज ने बताया कि पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए सोमवार तक विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाना) का

मामला दर्ज किया है। गोशामहल से विधायक को विवादित बयान देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना सहित कई जनप्रतिनिधि इफ्तार की दावतें रखने में व्यस्त हैं और कहा था कि वह न इफ्तार का आयोजन करते हैं और न इफ्तार में जाते हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, 'जो उनके साथ बैठते हैं (इफ्तार में शामिल होते हैं) वो वाट के भिखारी हैं। मेरी सोच अलग है।' सिंह ने कहा कि उनके सिद्ध धर्म ने सबका आदर करना सिखाया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा
 Bank of Baroda

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) (देखें नियम 8 (1))

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन (अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पंढित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.3.2018 जारी कर अध्याचारक मै. वधवान बिरेन्द्रक प्रालि., तला: 801-814, बंगला नं. सी-58, शाहपुरी तीर्थ सिंह टावर, कम्प्यूटरी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा कॉर्पोरेट गारन्टर, मार्टीनर-मै. अश्विनेन्द्र इन्फोसिस्ट प्रालि., पता-05, सी-58, शाहपुरी तीर्थ सिंह टावर, कम्प्यूटरी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में निर्धारित राशि 26.3.2018 को रु. 8,21,47,651/- (रुपये आठ करोड़ इक्कीस लाख सैंतालिस हजार रु. सौ इय्यावन मात्र) (26.3.2018 तक व्याज सहित) के साथ 26.3.2018 से व्याज, लागत, खर्च एवं अन्य अनुषंगिक चार्जेंस आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अध्याधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज गारन्टर, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पंढित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित परिस्थिति/सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। वित्तीय रूप से अध्याधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित परिस्थिति/सम्पत्ति का कब्जा का व्यवसाय न करें तथा इन परिस्थितियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.5.2018 को रु. 8,46,11,792/- (रुपये आठ करोड़ छियासठ लाख च्यासठ हजार सात सौ च्याने मात्र) (31.5.2018 तक व्याज सहित) के साथ 1.6.2018 से आगे के व्याज, लागत, खर्च एवं अन्य अनुषंगिक चार्जेंस आदि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, संसद मार्ग शाखा, भू तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के चार्ज के अधीन होगा। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूत परिस्थितियों को विनिर्भर करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) अधोलिखित सम्पत्तियों का इन्वेस्टमेंट मार्गैज: उस पर भवन तथा स्ट्रक्चर के साथ गिटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला जी.बी. नगर (उ.प्र.) में स्थित औद्योगिक प्लॉट नं. 12 ए, माप 38014.54 वर्ग मी., सेक- नॉलेज पार्क-03 में स्थित भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा। 2) प्लॉट एवं पार्सल नं. तथा विविध निर्धारित परिस्थितियों (विद्यमान के साथ ही साथ भविष्य की पार्सल नं. का हाइपथेकेस। 3) वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान तथा भविष्य दोनों, का हाइपथेकेस।

तिथि: 11.06.2018
 स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
 बैंक ऑफ बड़ौदा, संसद मार्ग

वी.ओ.: संसद शाखा,
 नई दिल्ली,
 दिल्ली मेट्रो 1

बैंक ऑफ इंडिया
 Bank of India
 नई दिल्ली आसिन् बसुली शाखा
 स्टार हाऊस, नृतीय तल, एन-2, कान्ट संसद,
 नई दिल्ली-110001

कच्चा सूचना
 (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आसिन्सों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के संपत्ति नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 17.07.2014 को ऋणी मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड व जमानतदार श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री सजीव वर्मा, श्री सुदेश कुमार वर्मा, श्री राजीव वर्मा और श्री विजय पाल सोनी को उक्त सूचना-प्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-प्र में उल्लेखित रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) + दिनांक 30.06.2014 से प्रमादी व्याज की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी क./जमानतदार के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी क. तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के संपत्ति उक्त नियमों के नियम 9 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 07 जून, 2018 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने मौलिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी क./जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया कोई व्यवहार रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) एवं उसके पश्चात के व्याज के बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार के अधखीन हो गा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आसिन्सों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उर्थव्यों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें प्रोपर्टी नं. 2363/1-7, खसरा नं. 2341, गणेशपुरा बी, त्रिनगर, नई दिल्ली।
 दिनांक: 07.06.2018, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

ड्रीसीबी बैंक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ड्रीसीबी बैंक लि. (यहां के बार बैंक के रूप में वर्णित), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित कम्पनी निरुक्त पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, विन्सन्सुला बिजनेस पार्क, उदय तल, उदय ए, सेनापति बाटम मार्ग, लोडर पार्क, मुम्बई-400013 में स्थित है, के द्वारा संचालित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 17.07.2014 को ऋणी मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड व जमानतदार श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री सजीव वर्मा, श्री सुदेश कुमार वर्मा, श्री राजीव वर्मा और श्री विजय पाल सोनी को उक्त सूचना-प्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-प्र में उल्लेखित रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) + दिनांक 30.06.2014 से प्रमादी व्याज की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी क./जमानतदार के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी क. तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के संपत्ति उक्त नियमों के नियम 9 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 07 जून, 2018 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने मौलिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी क./जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया कोई व्यवहार रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) एवं उसके पश्चात के व्याज के बैंक ऑफ इण्डिया के प्रभार के अधखीन हो गा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आसिन्सों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उर्थव्यों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

State Bank of India
 भारतीय स्टेट बैंक

वी.ओ.: तनावराल परिसम्पत्ति रिजोल्यूशन शाखा-II, 18/4, एसीआई हाउस, आर्य समाज रोड, कोलकाता, नई दिल्ली-110005

कच्चा सूचना परिपत्रित-IV (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम 8 (1)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (तात्कालिक स्टेट बैंक ऑफ ट्रेडिगणकोर जेसे जीओआई एनए अधिसूचना क्रमांक 128 तिथि 22.2.2017 के द्वारा 1.4.2017 से एसीआई हाउस अधिभारक का प्रयोग) के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पंढित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2.3.2017 जारी कर अध्याचारकों: 1) श्री करम सिंह पाटी एवं 2) श्रीमती उषा देवी को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 27.2.2017 को रु. 1,06,06,596/- (रुपए एक करोड़ छ: लाख छ: हजार पांच सौ छियावन मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक अनुषंगिक खर्चें, लागत, चार्जेंस आदि के साथ अनुषंगित व्याज/र-वसुली की गई व्याज की राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा अध्याधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 8 जून, 2018 को भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पंढित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। वित्तीय रूप से अध्याधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन परिस्थितियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 27.2.2017 को रु. 1,06,06,596/- (रुपए एक करोड़ छ: लाख छ: हजार पांच सौ छियावन मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक अनुषंगिक खर्चें, लागत, चार्जेंस आदि के साथ अनुषंगित व्याज/र-वसुली की गई व्याज की राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्याधारक का ध्यान प्रतिभूत परिस्थितियों को विनिर्भर करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान सं. 15, बुलेवर-11, रव्यापिण विहार, सेक्टर-82, नोएडा, जिला जी.बी. नगर, उ.प्र. का सभी भाग तथा हिस्सा, क्षेत्रफल माप 160 वर्ग मी., बिक्री प्रलेख सं. 663, तिथि: 18.2.2014 चौहद्दी: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: सम्पत्ति सं. 14 एवं पूर्व: सम्पत्ति सं. 16

तिथि: 8.6.2018, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

वी.ओ.: संसद शाखा,
 नई दिल्ली,
 दिल्ली मेट्रो 1

बैंक ऑफ इंडिया
 Bank of India
 नई दिल्ली आसिन् बसुली शाखा
 स्टार हाऊस, नृतीय तल, एन-2, कान्ट संसद,
 नई दिल्ली-110001

कच्चा सूचना
 (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आसिन्सों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002 (2002 का अध्यादेश 3) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के संपत्ति नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 17.07.2014 को ऋणी मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड व जमानतदार श्रीमती जमुना देवी, श्री सजीव वर्मा, श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री राजीव वर्मा और श्री विजय पाल सोनी को उक्त सूचना-प्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना-प्र में उल्लेखित रु. 15,75,30,940.35 (रुपये पन्द्रह करोड़ पियहत्तर लाख तीस हजार नौ सौ चालीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) + दिनांक 30.06.2014 से प्रमादी व्याज की राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी क./जमानतदार के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी क. तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के संपत्ति उक्त नियमों के नियम 9 के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06 जून, 2018 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने मौलिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी क./जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संप